

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या:—8/गठन/147/2017/ न0वि0आ0..... 4922 राँची, दिनांक 05/10/18

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2)(ब), धारा-4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (2)(ii) में किये गये प्रावधान के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्राम यथा-गोमिया, पलिहारी गुरुडीह, ससबेड़ा, खम्हरा, स्वांग, पीपराडीह, हजारी एवं खुदगड्डा को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-4561, दिनांक-07.09.2018 (गजट अधिसूचना संख्या-877 दिनांक-11.09.2018) के द्वारा गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' का गठन किया गया है।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा 15 की उपधारा (2)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी।

3. "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012" (यथा संशोधित) के नियम 3 के उपनियम (1)(ग)(ii) क्रमांक 1 में नगर परिषदों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम 40,000 की जनसंख्या पर वार्डों की न्यूनतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसके पश्चात् प्रत्येक 6000 की जनसंख्या पर 1(एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन का प्रावधान है।


4. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं।

उक्त प्रावधान के आलोक में गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है :-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना 2011 के आधार पर कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डों की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डों की संख्या	
बोकारो	गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख'	48141	40,000	20	8141	6000	1.35	01	21


5. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के अध्याय 2, नियम 3 के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या 21 एवं पार्षदों की संख्या भी 21 निर्धारित की जाती है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,


(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-8/गठन/147/2017/ न0वि0आ0 4922 राँची, दिनांक 05/10/18
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, नगर विकास विभाग को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक:-8/गठन/147/2017/ न0वि0आ0 4922 राँची, दिनांक 05/10/18
प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-8/गठन/147/2017/ न0वि0आ0 4922 राँची, दिनांक 05/10/18
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल/उपायुक्त, बोकारो/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/147/2017/ न0वि0आ0 4922 राँची, दिनांक-05/10/18
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, प्रशाखा-1 (स्थापना), प्रशाखा-2 (बजट), प्रशाखा-5 (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त नगर निकाय के संदर्भ में पदसृजन, बजट आवंटन एवं योजना कार्यान्वयन संबंधी आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई की जाय।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/147/2017/ न0वि0आ0 4922 राँची, दिनांक-05/10/18
प्रतिलिपि:-श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।